न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/657/2004/झुंझूनू</u>

1– मालाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1– श्रीमती सरली पत्नि मालाराम (मृतक)

1/2– फूलाराम पुत्र मालाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/2/1– श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 श्री फूलाराम,

1/2/2– राम कुमार पुत्र स्व0 फूलाराम,

1/2/3– मुकेश पुत्र स्व0 फूलाराम,

1/2/4– माया पुत्री स्व0 फूलाराम,

1/2/5– बबिता पुत्री स्व0 फूलाराम,

1/3– रामसिंह पुत्र स्व0 मालाराम,

1/4– रमेश कुमार पुत्र स्व0 मालाराम,

1/5– शुभा आनन्द पुत्र स्व0 मालाराम,

समस्त जाति जाट, निवासी खेमों की ढाणी, तह0 चिडावा, जिला झूंझूंनू ।

1/6– रूकमा पुत्री स्व0 मालाराम पत्नि मनोहर सिंह, जाति जाट, निवासी बुडानिया, तह0 चिडावा, जिला झूंझूंनू ।

1/7– भगवती पुत्री स्व0 मालाराम पत्नि कुरदा राम जाति जाट, निवासी बुडानिया, तह. चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

1/8– श्रीमती सजना पुत्री स्व0 मालाराम पत्नि जयपाल सिंह, जाति जाट, निवासी जोरडिया हाल निवासी रेल्वे स्टेशन, चिड़ावा ।

1/9– रामा देवी पत्नि हरीसिंह पुत्री स्व0 मालाराम,

1/10– राजवीर पुत्र स्व0 हरीसिंह पुत्र स्व0 मालाराम,

1/11– सुरेश कुमार पुत्र स्व0 हरीसिंह पुत्र स्व0 मालाराम

समस्त जाति जाट, निवासी खेमों की ढाणी, तह0 चिड़ावा, जिला झूंझूनू ।

1/12– श्रीमती सुमित्रा पुत्री हरीसिंह पुत्र स्व0 मालाराम पत्नि रोहिताश कुमार, जाति जाट, निवासी ओजादू, तह0 चिड़ावा जिला झूंझूंनू ।

1/13– श्रीमती किरण पुत्री हरीसिंह पुत्र स्व0 मालाराम पत्नि प्रताप सिंह, जाति जाट, निवासी पिचानवा, तह0 चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

–अपीलांटस

बनाम

1– सूरजभान पुत्र जोतराम, जाति जाट, निवपासी चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

2– इन्दर सिंह पुत्र भीमसिंह, जाति जाट, निवासी ओजादू, तहसील चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

3– जयसिंह पुत्र सागरमल जाति जाट, निवासी चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

4– भीमसिुंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति जाट, निवासी मालासर, हाल निवासी चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

–रेस्पोर्डेंटस

5– जैलसिंह पुत्र दयानंद, जाति जाट, निवासी तहसील चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

6– उमेदी चंद पुत्र अमरा राम जाति जाट, निवासी हरीपुर, तह0 एवं जिला झूंझूंनू ।

7– मक्खनलाल पुत्र देबूराम, जाति जाट, निवासी चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

8– तारासिंह पुत्र जालूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

8/1–श्रीमती विद्या पत्नि स्व0 तारासिंह,

8/2– नवीन पुत्र स्व0 तारासिंह,

8/3– प्रमोद पुत्र स्व0 तारासिंह,

8/4– अटल पुत्र स्व0 तारासिंह,

8/5– उत्तम पुत्र स्व0 तारासिंह,

समस्त निवासी मक्कर की ढाणी, तह0 व जिला झूंझूंनू ।

9– नेमीचंद पुत्र ताराचंद (मृतक) जरिये वारिसानः–

9/1– मुन्नीदेवी पत्नि स्व0 नेमीचंद,

9/2– संजय पुत्र स्व0 नेमीचंद,

9/3– प्रवीण पुत्र स्व0 नेमीचंद,

9/4– प्रमोद पुत्र स्व0 नेमीचंद पत्नि महेन्द्र पालीवाल, निवासी हगुआ गोट, तह व जिला झूंझूंनू ।

9/5– पपीता पुत्री स्व0 नेमीचंद पत्नि मनोज, निवासी कोलीदा का वास, तहसील मलीसर, जिला झूंझूंनू ।

9/6– नेहा पुत्री स्व0 नेमीचंद पत्नि रमेश जाति जाट, निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़, जिला झूंझूंनू ।

10– ओमप्रकाश पुत्र द्वारका प्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी अरदावलियों का मौहल्ला, चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

11– तहसीलदार, चिड़ावा, जिला झूंझूंनू ।

तरतीबी रेस्पोर्डेंटस

<u>खण्डपीठ</u>

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी ।

श्री घनश्यामसिंह लखावत, अधिवक्ता रेस्पोर्डेंटस ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 27.5.2022

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झूंझूंनू द्वारा अपील

संख्या 83/2000 उनवानी सूरजभान बनाम मालाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर मुख्यालय, झूंझूंनू के समक्ष एक वाद घोषणा हुक्म इम्तनाई दवामी व बेदखली का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर गत 897 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 898 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 899 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, 900 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा चिड़ावा में अवस्थित है। इनमें से भूमि खसरा नंबर 897 के नये खसरा नंबर क्रमशः 991 रकबा 0.18 है0, 1176 रकबा 0.14 है0, 1177 रकबा 0.14 है0, 1178 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 1179 रकबा 0.25 है0, 1183 रकबा 0.09 है0 एवं 1190 रकबा 0.25 है0 बने है। यह भूमि पहले गोपीराम की खातेदारी में थी। उसकी मृत्यु के उपरांत नामांतकरण संख्या 68 से उनके वारिस रूकमणी, श्रीभगवान, गौरीशंकर, कैलाश, रमाकांत, विनोद कुमार, सत्यनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज रही। यह भूमि वादीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.9.1991 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रतिवादीगण दिनांक 15.12.1991 को 50–60 व्यक्तियों सहित उक्त क्रयशुदा भूमि पर आए एवं खसरा नंबर 1190 के उत्तर पूर्वी भाग में अवैध कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को खसरा नंबर 991, 1176, 1177, 1178, 1183, 1190 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है0 का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। न्यायालय सहायक

कलक्टर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2000 द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया। वादीगण/रेस्पो0 द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2000 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में पेश की गई जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.1.2004 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर वादीगण/रेस्पो0 को खसरा नंबर 1190 रकबा 0.25 है0 का खातेदार मानकर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किए। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.1.2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है। विवादित भूमि का खातेदार गोपीराम था तथा उसके जीवनकाल में ही अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज हो गया था। विवादित भूमि क्रय करने के दिवस से रेस्पो0 मौके पर काबिज नहीं हुए है। अतः खसरा नंबर 1190 पर रेस्पो0/वादीगण का कोई विधिक अधिकार नहीं था। खसरा नंबर 1190 बाबत् वादी/रेस्पो0 का वाद कब्जे के अभाव में धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत संधारण योग्य नहीं था। गोपीराम के उपरांत विवादित भूमि कभी भी वादीगण/रेस्पो0 के कब्जे काश्त में नहीं रही है। स्व0 गोपीराम ने उक्त आराजी के अधिकांश भाग को अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दी व अन्य व्यक्तियों को काश्त पर दी थी तथा लंबे कब्जे काश्त के आधार पर

उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। गोपीराम ने अपने वारिसान के लिए उक्त आराजी में कोई भूमि नही छोड़ी थी। वादीगण ने आराजी के खातेदार काश्तकारों को वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे भी वाद संधारण योग्य नहीं था। वादीगण/रेस्पो0 ने सेटलमेंट अधिकारियों से साजिश कर विवादितग्रस्त आराजियात की शेष भूमि दिखाकर नये सेटलमेंट में जो भूमि खसरा नंबर 1176, 1177, 1178, 1179, 1183 व 1190 में जो रकबा दिखाया है, वह मौके पर नहीं है। वादीगण का यह कथन असत्य है कि उनके द्वारा खसरा नंबर 1190 या अन्य भूमि क्रय की गई हो। विवादित आराजी पर विक्रय के दिन न तो विक्रेतागण का कब्जा और न ही विक्रेतागण ने क्रेता को दिनाक 24.9.1991 को कब्जा ही संभलाया था। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र शून्य है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

5– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.1.2004 विधिसम्मत् है । विक्रयपत्र प्रदर्श 1, नामांतकरण संख्या 194 प्रदर्श–2 एवं जमाबंदी संवत् 2054 में वादीगण के नाम उक्त खसरा नंबरान की दर्ज खातेदारी के अंकन से वादीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार साबित है। प्रतिवादीगण/ अपीलांट विवादित भूमि पर किस आधार पर काबिज है, दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है। रेस्पो0 क्रय के आधार पर विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा एक खातेदार काश्तकार उसकी आराजियात पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने पर बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर अपीलांट/प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् वाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण/रेस्पो0 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है। विद्वान सहायक कलक्टर,मु0 झूंझूंनू ने वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 1190 रकबा 0.25 है0 बाबत् वादीगण/रेस्पो0 का वाद खारिज किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों विक्रय पत्र प्रदर्श–1, नामांतकरण संख्या 194 प्रदर्श–2, एवं जमाबंदी संवत् 2054 से स्पष्ट है कि वादपत्र में अंकित खसरा नंबर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण/अपीलांट खसरा नंबर 1190 पर अपना कब्जा होने का कथन करते हैं, किन्तु उक्त कब्जा किस विधिक आधार पर है, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं। चूंकि वादीगण/रेस्पो0 दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात खसरा नंबर 1190 रकबा 0.25 है0 के क्रय के आधार पर खातेदार कातश्कार दर्ज है तथा एक खातेदार काश्तकार उसकी आराजियात पर अन्य काश्तकार द्वारा कब्जा काश्त किए जाने पर बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है तथा उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी किए जाने पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का भी अधिकारी है। अपीलांटस ने विवादित आराजियात वादीगण/

रेस्पो0 को विक्रय किए जाने से पूर्व खसरा नंबर 1190 पर कब्जा काश्त साबित करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि विक्रय दिनांक को विवादित भूमि खसरा नंबर 1190 पर अपीलांटस का कब्जा काश्त रहा हो। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित कुल 8 तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/रेस्पो0 की अपील स्वीकार की है जिसमें हमें कोई विधिक या तथ्यात्मक अनियमितता प्रतीत नही होती है।

8– उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनु द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.1.2004 यथावत् रखा जाता है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो। तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे।

10– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य